



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1944 (श10)
(सं0 पटना 157) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मार्च 2022

okf.kT; &dj foHkkx

अधिसूचना

31 मार्च 2022

अधिसूचना संख्या 01/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 74 दिनांक 31 मार्च 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017), की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में

- क. अनुसूची I में - 2.5%, क्रमांक 225ख, 226, 227, 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
- ख. अनुसूची II में - 6%, क्रमांक 176क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा; यथा: -

176 ख	6815	फलाई ऐश की ईट या फलाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फलाई ऐश हो; फलाई ऐश ब्लॉक्स
176 ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही

		सिलिकामय मिट्टी की ईटे
176 घ	6904 10 00	निर्माणी ईटे
176 इ	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-12) 01)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

31 मार्च 2022

एस० ओ० 74, दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12) 01)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st March 2022

Notification No. 01/2022- State Tax (Rate)

S.O. 74, Dated 31st March 2022—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- in Schedule I – 2.5%, serial numbers 225B,226, 227, 228 and the entries relating thereto shall be omitted;
- in Schedule II – 6%, after serial number 176A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“176B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
176C	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
176D	6904 10 00	Building bricks
176E	6905 10 00	Earthen or roofing tiles”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)01)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 157-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>